—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 25/2020

उनवान

1. शिवदान उर्फ शोदान पुत्र मिश्री
2. सुवा पुत्र मिश्री समस्त जाति जाट नि. ग्राम तिहारी, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्रीलाल
2. छोटू पुत्र श्रीलाल,
3. धोल्या पुत्र श्रीलाल
4. मिठु पुत्र श्रीलाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
5. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा तिहारी, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित,
6 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 1.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के हाल खाता संख्या 228/181 किता 5 रकबा 0.78 व 229/180 किता 67 रकबा 25.46 की आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है तथा शेष आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा निहित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण अविभाजित आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना [illegible] किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता [illegible] व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का [illegible] चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित है। आराजी मुतनाजा का विभा[illegible]ने से

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के हाल खाता संख्या 228/181 किता 5 रकबा 0.78 व 229/180 किता 67 रकबा 25.46 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटर्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:20 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शिवदान बनाम गोपाल

दावा बावत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 25/2020
पेश करने की दिनांक – 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सीताराम रदावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खाता संख्या 228/181 किता 5 रकबा 0.78 व 229/180 किता 67 रकबा 25.46 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह जून 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:20 IST
Reason: SelfAttested